भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2230

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2023 को दिया जाना है ।

11 श्रावण, 1945 (शक)

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

2230. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संभावित प्रभाव, लागत और लाभ का व्यापक मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में हितधारकों, उपभोक्ता समूहों और विशेषज्ञों के साथ पारदर्शी और मुक्त परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार जागरुकता सृजन क्षमता निर्माण और सुलभ शिकायत निवारण के माध्यम से प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और जमीनी स्तर के संगठनों के साथ कार्य करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): विधेयक का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के उनके अधिकारों की रक्षा करके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और विकास जारी रहे। प्रस्तावित विधेयक की वित्तीय बाध्यताओं को विधेयक में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग): मंत्रालय ने प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर कई हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है। साथ ही, मंत्रालय ने प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की थी। सार्वजनिक परामर्श दिनांक 18.11.2022 से 02.01.2023 तक किए गए थे।

(घ): प्रस्तावित विधेयक से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के तरीके में प्लेटफ़ॉर्म/डेटा फ़िडुशियरीज़ के बीच अत्यधिक व्यवहारिक बदलाव आने की अपेक्षा है। यह डेटा प्रिंसिपलों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन ढांचा स्थापित करेगा कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, और डेटा फिडुशियरी अपने दायित्वों को पूरा करें। मसौदा विधेयक डेटा प्रिंसिपलों को उनके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानकारी तक पहुंचने, ऐसे डेटा को सुधारने और मिटाने, शिकायतों का निवारण करने और मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नामांकन के अधिकार भी प्रदान करता है।

*****